

आदेश

अनु. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1159/11(2)/12-03(बजट)/2012, ला0नि0वि0 अनुभाग-2 दिनांक 16.04.2012 के द्वारा ला0नि0वि0 रुद्रप्रयाग की जिला योजना के अन्तर्गत नगरी/सेतु कार्य हेतु ₹ 1437.35 लाख (चौदह करोड़ सैंतीस लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र) का परियोजना अनुमोदित किया गया है। शासनादेश संख्या 56/11(2)05-47 (बजट)/2005 दिनांक 17.01.2006 के अनुसार $3.50 \times$ अनुमोदित परियोजना - 01.04.2012 का अवशेष अर्थात् $3.50 \times 1437.35 - 1001.99 = ₹ 4028.74$ लाख की सीमा तक के नये कार्यों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्राप्त किये जा सकते हैं। दिनांक 28.07.2012 को माननीय प्रभारी मंत्री जनपद रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय तथा मा0 जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरान्त (अर्थ एवं संख्याधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक 499/जिला योजना/2012-15 दिनांक 29.03.2012 के साथ संलग्न अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार) मालाने 175 नये कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 4028.74 लाख (चालीस करोड़ अट्ठाईस लाख चौहत्तर हजार रुपये मात्र) रुपये की निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। (संलग्न अर्थ एवं संख्याधिकारी का पत्र)।

शर्तें—

जिला योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना समिति के द्वारा अनुमोदित परियोजना एवं योजनाओं के अनुरूप ही किया जायेगा।

कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता तथा समस्त वित्तीय व्यय हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस तरह का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

स्वीकृत धनराशि का ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न किया जाय जिसके समबन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न हो अथवा योजना विवाद प्रस्त हो।

व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थापित आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उससे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगमनों/पुनरोद्धार आगमनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

यह सुनिश्चित कर ली जाय कि व्यय चलू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक हो किया जाय क्योंकि इस प्रकार के कार्य वार्षिक अंशधार पर स्वीकृत किये जाते हैं तथा 13 नवंबर 2012 होने वाले कार्यों में अनुमानित लागत के बाद किसी प्रकार की बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं है।

इस धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर किया जाय तथा मासिक आवश्यकता अनुसार तीन मासिक किस्तों में कोषागार में आहरण किया जाय।

स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग 31.03.2013 तक कर इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अत्यंत महि अधीक्षण अभियन्ता, पदावत, लोक निर्माण विभाग, मोवेश्वर एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रुद्रप्रयाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि सकलित रिपोर्ट स-समय जमाना का पालन करा जा सके।

सहायक अभियन्ता
मा0ख0 ला0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

क्र.सं-2 पृ

8. स्थलीय वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार यदि जिला योजना समिति के सदस्यों द्वारा दी गई योजनाओं के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से संशोधित किया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्यय में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं० 22 लेखा शीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत 800-अन्य व्यय 91 जिला योजना 00-24 वृहद निर्माण कार्य की मद में चार्ज किया जायेगा।
10. यह आदेश वित्त अनुभाग 1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 193/XXXVII(1)/2012, दि० 30.03.2012 के क्रम में अनु सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र सं० 1189/1112/12-03(बजट)/2012, लो०नि०वि० अनुभाग-2 दिनांक 16.04.2012 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।
11. संयुक्त वर्णित शर्तों(क्रम संख्या 1 से 10तक) का अक्षरांश अनुपालन किया जायेगा जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

संलग्न :- व्ययवृत्त

(नीरज खैरवाह)
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

सं० 1189/1112/12-03(बजट)/2012-2013 दि० 11.04.2012

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, माननीय प्रभारी मंत्री, जनपद रुद्रप्रयाग को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, चहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, नाजरा, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10. निदेशक अर्थ एवं संख्या निदेशालय, 100/6 नैशविला रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
12. अधीक्षण अभियन्ता, 7वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
13. मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
14. जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
15. जिला सूचना अधिकारी (एन०आई०सी०) रुद्रप्रयाग।
16. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
17. अधिशासी अभियन्ता, प्रा०/नि० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग/ऊखीमठ।
18. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रुद्रप्रयाग।

सहायक जिलाधिकारी
प्रा०ख० ला०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

8. स्थलीय वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार यदि जिला योजना समिति के सदस्यों द्वारा दी गई योजनाओं के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से संशोधित किया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्यय में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं० 22 लेखा शीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत 800-अन्य व्यय 91 जिला योजना 00-24 वृहद निर्माण कार्य की मद में चार्ज किया जायेगा।
10. यह आदेश वित्त अनुभाग 1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 193/XXXVII(1)/2012, दि० 30.03.2012 के क्रम में अनु सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र सं० 1189/111(2)/12-03(बजट)/2012, लो०नि०वि० अनुभाग-2 दिनांक 16.04.2012 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।
11. संयुक्त वर्णित शर्तों(क्रम संख्या 1 से 10 तक) का अक्षरांश अनुपालन किया जायेगा जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

संलग्न :- व्ययवृत्त

(नीरज खैरवाह)
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

सं० 522/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो०नि०वि०/2012-2013 दि० 11.04.2012

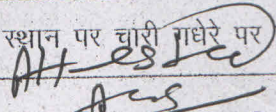
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, माननीय प्रभारी मंत्री, जनपद रुद्रप्रयाग को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, चहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, नाजरा, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10. निदेशक अर्थ एवं संख्या निदेशालय, 100/6 नैशविला रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
12. अधीक्षण अभियन्ता, 7वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
13. मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
14. जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
15. जिला सूचना अधिकारी (एन०आई०सी०) रुद्रप्रयाग।
16. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
17. अधिशासी अभियन्ता, प्रा०/नि० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग/ऊखीमठ।
18. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रुद्रप्रयाग।

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० ला०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

मार्ग का नाम	लम्बाई / स्पांन	लागत (लाख में)
2	3	5
जिला मुख्यालय जखोली के अन्तर्गत ग्राम मौली हेतु तिलवाडा-जाखाल मोटर मार्ग के मौली बैण्ड से जख मौली तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	12.60
जखवाडा-बकौर मोटर मार्ग पर गस्थापन से उछोला गांव तक मोटर मार्ग	2.00	25.20
आमन से हराबा-भोव मोटर मार्ग के अवशेष कार्य	L.S.	10.00
जखवाडा से जिला मुख्यालय मोटर मार्ग का द्वितीय चरण निर्माण	0.75	28.95
बेनीली से जख सिद्ध तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1.00	12.60
मुख्य मार्ग बागरी से मुन्देस्वर मन्दिर, ग्राम रागा मुन्नादेवल एवं ग्राम पंचायत धाती बड़मा मोटर मार्ग का	1.50	57.90
मुख्य मार्ग बागरी से ग्राम धरियांज तक शम्भूक मार्ग	1.50	57.90
ग्राम पंचायत बागरी के थापलानामी लोक से अग्रस्त्य उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम मयली गांव तक 2.00 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1.50	18.90
ग्राम पंचायत जगधिया ने डोंरिंग सौड हर्षिक रोड जखोली से कण्डवाल गांव कपधियां तक 1.00 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1.00	12.60
जखवाडा-बकौर मोटर मार्ग का अवशेष कार्य	2.00	77.20
जखवाडा-बकौर मोटर मार्ग से मल्यासू मोटर मार्ग का अवशेष कार्य	L.S.	14.50
जखवाडा-बकौर मोटर मार्ग का डामरीकरण	1.00	24.00
बकौर-जखोली - चौखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण	4.50	108.00
तिलवाडा-जखोली - चौखाल मोटर मार्ग (किमी० 31 व 32 में डामरीकरण	1.20	28.80
जख सिद्ध से जख मुन्नादे मोटर मार्ग के किमी० 1 व 2 में डामरीकरण	1.45	34.80
जखवाडा से जिला मुख्यालय मोटर मार्ग के किमी० 1 में डामरीकरण	1.00	24.00
मयली-जखोली मोटर मार्ग के किमी० 1 व 2 में डामरीकरण	2.00	48.00
जखवाडा-बकौर मोटर मार्ग के किमी० 1 व 2 में डामरीकरण	2.00	48.00
जखवाडा-बकौर मोटर मार्ग के किमी० 3 से 5 में डामरीकरण	3.00	72.00
मुख्यालय-जखोली मोटर मार्ग के चैनेज 6.200 से 6.500 में डामरीकरण	0.30	7.20
मुख्यालय-जखोली मोटर मार्ग का अवशेष प्रतिकर का भुगतान	L.S.	5.00
जखवाडा-बकौर मोटर मार्ग के किमी० 2 पर सुरक्षात्मक कार्य	L.S.	10.00
मुख्यालय-बकौर मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त नहर का निर्माण	L.S.	18.00
मयली-जखोली मोटर मार्ग का अवशेष प्रतिकर	L.S.	5.00
जखोली-बकौर मोटर मार्ग पर फेंसिंग व अन्य आवश्यक कार्य।	L.S.	5.00
जिला मुख्यालय जखोली पुल का अंतिम कार्य	L.S.	5.00
मौली जखोली पुल का का अंतिम कार्य	L.S.	5.00
ग्राम पंचायत खलियां में मोटर मार्ग पर नौन गधेश पर पुलिया /काजवे का निर्माण	L.S.	6.00
ग्राम चोखी मुख्यालय-जखोली गांव के चकोलिया गधेरे पर पुलिया निर्माण।	12 mtr	15.60
ग्राम खलियां के रमन बाग स्थान पर पुलिया निर्माण।	14 mtr	18.20
जखवाडा-बकौर मोटर मार्ग के किमी० 3 में 21 मीटर स्पांन मोटर पुल का निर्माण।	21.00	42.00
चन्दी खंड जखोली पुल हेतु पार्श्व मार्ग का निर्माण	L.S.	10.00
जखोली-मौली मोटर मार्ग के धरियांज नामक स्थान पर चोरी गधेरे पर मोटर पुलिया का निर्माण	9.00	18.00


 सहसंचालक अभियन्ता
 प्रा० सं० नगर नि० वि०
 जयपुर